कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर

नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन कक्ष क्र. 140
दूरभाष – 07582–224543 फैक्स 07582–224543
E-Mail : deosaugour@gmail.com

क्रमांक / 583 / निर्वा0 / चु0पर्य0 / 2020 सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2020

/ / निविदा सूचना / /

आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को सम्पन्न कराये जाने के लिए चाय, नाश्ता, भोजन के पैकेट एवं पानी के पाऊच / बॉटल / कंटेनर उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त सामग्री उपलब्ध किये जाने हेतु दिनांक 16/09/2020 को **अपरान्ह 02:00 बजे** तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। निविदाकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क 100.00 रूपये जमा कर निविदा फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। निविदा शर्तें चाय, नाश्ता, भोजन के पैकेट की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं प्राप्ति तिथि के कार्य दिवस में **अपरान्ह 03.00 बजे** जिला स्तर पर गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा की विस्तृत विवरण www.sagar.nic.in में देखा जा सकता हैं।

(दीपक सिंह)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सागर

पृ0 क्रमांक / 583 / निर्वा0 / चु0पर्य0 / 2020 सागर, दिनांक 26 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है, कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त,सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर सर्व...की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक खाद्य एवं औषधि सुरक्षा सागर की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला सागर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र सागर की ओर उक्त निविदा सूचना जिले की वेबसाईट sagar.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सागर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर

दूरभाष – 07582–224543 फैक्स 07582–224543
E-Mail : deosaugour@gmail.com

क्रमांक / /निर्वा0/चु0पर्य0/2020 सागर, दिनांक अगस्त, 2020

//निविदा प्रारूप एवं शर्ते//

आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को सम्पन्न कराये जाने के लिए चाय, नाश्ता, भोजन के पैकेट एवं पानी के पाउच/बॉटल/कंटेनर उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु लिफाफा 'अ' में जमानत राशि, लिफाफा 'ब' में तकनीकी दस्तावेज एवं लिफाफा 'स' में निविदा की दरें प्रस्तुत की जावे। उत्तम गुणवत्ता की सामग्री की निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बंद लिफाफे में दिनांक 14/09/2020 को **अपरान्ह 02:00 बजे** तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के कार्यालयीन में भोजन, पैकेट के नमूने सहित सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा लिफाफे के ऊपर **चाय, नाश्ता, भोजन के पैकेट एवं पानी निविदा** स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। प्राप्त निविदाएं प्राप्ति तिथि के कार्य दिवस में **अपरान्ह 03:00 बजे** जिला स्तर पर गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदाकार चाहे तो स्वंय या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। नियम समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. चाय–नाश्ता –

क्रमांक	सामग्री	मात्रा	दर (रूपये में)
01	चाय	01 कप (50 एम.एल.)	
02	कॉफी	01 कप (50 एम.एल.)	
02	समोसा/आलूबंडा	01 नग (50 ग्राम)	
04	चाय बिस्किट	01 कप (50 एम.एल.) 4 बिस्किट	

2. सामान्य भोजन पैकेट –

क्रमांक	सामग्री	मात्रा	दर (रूपये में)
01	सामान्य थाली पानी सहित (सामग्री का नाम सहित)	01 नग	
02	व्हीआईपी थाली पानी सहित (सामग्री का नाम सहित)	01 नग	
03	सामान्य नाश्ता पानी सहित (सामग्री का नाम सहित)	01 नग	
04	व्हीआईपी नाश्ता पानी सहित (सामग्री का नाम सहित)	01 नग	

3. पानी –

क्रमांक	सामग्री	मात्रा	दर (रूपये में)
01	मिनरल वॉटर	(250, 500 एम.एल. एवं 1 ली.)प्रतिनग	
02	पानी पाउच	प्रतिनग/प्रतिबोरी(पाउच संख्या)	
03	कंटेनर	प्रतिनग(ली.क्षमता)	
04	पानी जार	प्रतिनग(ली.क्षमता)	

उपरोक्त सामग्री नाश्ता एवं भोजन कागज के डिब्बे/प्लास्टिक थाली में पेक कर दिया जावेगा। यदि निविदाकार अपने स्तर से व्यवस्था करना चाहता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें। पैक डिब्बे की सामग्री का स्पष्ट विवरण अंकित किया जाये।

चाय, नाश्ता एवं भोजन पैकेट हेतु निविदा की शर्ते

1. उपरोक्त सामग्री सफल निविदाकार को भोजन सामग्री वांछित स्थल पर स्वंय पहुंचाकर प्रदाय करनी होगी, जिसके लिए पृथक से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में होना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सागर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क 100.00 रुपये जमा कर निविदा फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होगी, जिसका परीक्षण उप संचालक खाद्य सुरक्षा सागर द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार सामान्य/विशेष पैकेट्स आदेश प्राप्ति के कम से कम 04 घण्टे के अंदर निर्धारित स्थान पर पहुंचाकर प्रदाय करना होगा।

5. निविदाकार को भोजन सामग्री प्रदाय करने के संबंध में रुपये 20,000 (बीस हजार मात्र) की अमानत राशि अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के नाम से तैयार कराकर जमा करना होगा।
6. आवश्यक सामग्री उच्च गुणवत्ता की समय व स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी।
7. निविदा की सभी दरें समस्त देय कर सहित रहेंगी
8. निविदाकार द्वारा पूर्व में बड़े स्तर पर भोजन प्रदाय संबंधी कार्य का अनुभव एवं कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. निविदाकार को आयकर विभाग से जारी पेन नंबर एवं जीएसटी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दाता के पास निविदा के शर्तों के अनुरूप कार्य करने का स्थान स्थायी संसाधन, खाद्य सुरक्षा विभाग से प्रशिक्षित पर्याप्त कर्मचारी होना चाहिए एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से जारी किये जाने वाली अनुज्ञा एवं पंजीयन होना चाहिए। इसका परीक्षण खाद्य सुरक्षा द्वारा किया जावेगा। स्थायी नियोजित कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं भोजन तैयार किये जाने हेतु निर्धारित मानकों का पालन होना चाहिए। निविदाकार इस कार्य हेतु ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
11. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर, को रहेगा। उनका निर्णय अंतिम रहेगा। उनके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
12. निविदाकार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासन कक्ष में राजसात की जावेगी तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. निविदा में वांछित अनुज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर, बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड एवं अन्य प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां सूची सहित संलग्न करें।
14. स्वीकृत न्यूनतम निविदा दर निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
15. निविदा स्वीकृत होने पर किया गया अनुबंध किसी पक्ष द्वारा 45 दिन की सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा।

(दीपक सिंह)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सागर

पृ0 क्रमांक/ /निर्वा0/चु0पर्य0/2020 सागर, दिनांक अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है, कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त,सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर सर्व..की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक खाद्य एवं औषधि सुरक्षा सागर की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जनसंपर्क जिला सागर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र सागर की ओर उक्त निविदा सूचना जिले की वेबसाईट sagar.nic.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला– सागर

निविदा प्रपत्र – अ
निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा
(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)

1. निविदादाता फर्म का नाम :–
2. निविदादाता फर्म के प्रोप्रराईटर का नाम एवं मोबाईल नंबर :–
3. निविदादाता फर्म का पता :–
4. स्थापना अधिनियम के तहत संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं प्रमाण पत्र :–
5. संस्था का जीएसटी नंबर :–
6. संस्था का पेन नंबर :–
7. निविदाकार का संगठन :–
   (1) संगठन/साझेदारी की संख्या अनुभव :–
8. पिछले 3 वर्षो में व्यापार का टर्न ओव्हर :–
   (1) ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेंस शीट :–
9. निविदा प्रतिभूति (Earnest Money) राशि का विवरण :–
   1. बैंक का नाम :–
   2. बैक ड्राफ्ट का क्रमांक :–
   3. दिनांक :–
   4. राशि :–
10. निविदाकार का बैंक का नाम/खाता क्रमांक/ बैंक का आईएफएससी कोड क्रमांक (बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करे) :–
11. विगत 3 वर्ष का अनुभव :–

दिनांक– ....
स्थान – ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

पता ....

मोबाईल नं. ....

ईमेल आईडी ....

सील सहित